न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–81/2018
CIS NO.-226/2018

सुकई बीन.....वादी

बनाम

प्रभु बीन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.06.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख हस्तक्षेपक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2021 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। हस्तक्षेपक की ओर से दिनांक 13.12.2021 को आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगणों की ओर से दिनांक 13.12.2021 को आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदकगणों का कहना है कि यह वाद वादी ने बंटवारा हेतु दायर किया है। वादपत्र के मद सं0–02 में बंटवारा हेतु विषयगत भूमि का विवरण दिया गया है। वादी ने अपने वादपत्र की कड़िका में यह स्पष्ट स्वीकार करते हुए विवरण दिया है कि मौजा धोबनी थाना न0–481 खाता न0–109 रामनाथ बीन तथा दलसिंगार बीन वल्दान जूठी बीन के नाम से हाल सर्वे खतियान दर्ज है तथा खाता न0–102 का हाल सर्वे खतियान मुनेशर बीन वल्द दलसिंगार बीन के नाम पर दर्ज है। खाता न0–109, 102 तथा 110 की भूमि बंटवारा तलब जायदाद का विवरण मद सं0–02 में है। मद सं0–02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0–59 खेसरा 339 एवं 667 की जमीन सहित खाता सं0–148 खेसरा 399, 330 खाता सं0–151 खेसरा 520 खाता सं0–31 खेसरा 419 सहित खाता न0–110 खेसरा 4 की जमीन को भी वादी ने अपने बंटवारा वाद में जोड़ दिया है। जिससे वादी को कोई सरोकार नही है। खाता सं0–110, 59, 148, 151 तथा खाता सं0–31 खेसरा 419 में वर्णित संपूर्ण भूमि आवेदकगणों की भूमि है जो बंटवारा वाद सं0–55/1950 में पारित निर्णय से आवेदकगणों के परिवार को प्राप्त हुई है तथा आवेदकगण लगातार दखल कब्जा में है तथा जमाबंदी भी कायम है। आवेदकगण द्वारा कागजातों की छायाप्रति भी आवेदन के साथ दाखिल है। अतः आवेदकगणों को इस बंटवारा वाद में प्रतिवादी सं0–43, 44, 45, 46 के रूप में प्रतिवादी तृतीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः आवेदकगणों का आवेदन स्वीकार किया जाय। प्रतिवादीग सं0–01, 04, 10, 11 तथा 22 की ओर से आवेदन दिनांक 13.12.2021 का प्रत्युत्तर दिनांक 28.02.2022 को दाखिल किया गया जिसमें प्रतिवादीगणों का कहना है कि आवेदकों का आवेदन कानुन एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से पोषणीय नही है। आवेदकगणों को	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–81/2018</u>
<u>CIS NO.-226/2018</u>

लगातार **18.06.2022**	इस प्रकार के आवेदन का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगणों का कहना है कि दाखिल खारिज आवेदकगणों के पक्ष में होने से आवेदकगणों को किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नही होता है। आवेदक हस्तक्षेपक अंचल को मेल में लेकर गलत जमाबंदी दर्ज कराये है तथा गलत रसीद कटा रहे है। हस्तक्षेपक प्रतिवादीगण के खानदान के नही है तथा उनका दावा यदि स्वत्व के आधार पर है तो हस्तक्षेपक आवेदक अपना स्वत्रंत मुकादमा लाकर अपने दावा का निष्पादन करा सकते है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अभी प्रारंभिक अवस्था में है। उक्त वाद बंटवारा वाद है। जो संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति का विभाजन हेतु दाखिल किया गया है। आवेदकगणों द्वारा अपने आवेदन के साथ संबंधित खाता खेसरा की भूमि के संबंध में कागजात भी दाखिल किये है। जिनसे प्रतीत होता है कि आवेदकगणों का भी संबंधित वादग्रस्त भूमि में हित है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निस्तारण सभी पक्षों को सुनकर तथा सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत किया जाना चाहिए। अगर कोई पक्षकार छूट जाता है तो इससे वाद की बहुलता बढ़ने की संभावना रहती है। सभी आवेदकगण इस बंटवारा वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। अतः यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकों को मो0–500/– रूपये हर्जे पर पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है। वाद दिनांक 27.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	